# कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट सोनभद्र– (उ0प्र0)

05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in


पत्रांक–2869 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट, फरवरी, 13 , 2019

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि के लीज का नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के संबंध में

संदर्भः– नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना द्वारा प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के आदेश संख्या– 8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 तथा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–3 के आदेश संख्या– एल0 590/14–3–1989 लखनऊ दिनांक– 22.12.1989 तथा पत्र संख्या– 5343/14–2–93–944/1987 द्वारा 11 शर्तो के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी । उत्तर प्रदेश शासन के उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के अनुसार लीज की अवधि (30 वर्ष) दिनांक– 21.12.2019 को समाप्त होने वाली है । लीज अवधि समाप्त होने के पूर्व ही पुनः 20 वर्षो के लिए लीज नवीनीकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा ऑन लाईन प्रास्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017 की छः प्रतियॉ इस वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी है ।

उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 में अंकित मुख्य शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है :–

| क्रम संख्या | उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक– 22.12.1989 में अंकित शर्त संख्या/विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | **शर्त संख्या– 8(ब)** " नार्दन कोल फील्डस लि0 से भूमि के प्रीमियम अर्थात रू0 2,32,300/– का 10 % लीज रेंट प्रतिवर्ष लिया जाय और चूॅकि प्रश्नगत वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि हरदोई में उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए भूमि का मूल्य नही लिया जायेगा" । | रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत ग्राम–ककरी में नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को भारत सरकार के आदेश संख्या– 8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 तथा इसके क्रम में संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 तथा पत्र संख्या– 5343/14–2–93–944/1987वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 01.11.1993 द्वारा 185.84 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के शर्त संख्या– 8(ब) में यह उल्लिखित है कि ," नार्दन कोल फील्डस लि0 से भूमि के प्रीमियम अर्थात रू0 2,32,300/– का 10 % लीज रेंट प्रतिवर्ष लिया जाय और चूॅकि प्रश्नगत वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि हरदोई में उपलब्ध कराई जा रही है , इसलिए भूमि का मूल्य |

| | | |
|---|---|---|
| | | नही लिया जायेगा " । उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के अनुपालन में नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा वर्ष वर्ष 1989–90 से 2011–12 तक निर्धारित लीज रेंट की धनराशि रू0 23230/– प्रति वर्ष की दर से रेनुकूट वन प्रभाग में जमा किया गया तथा वर्ष 2012–13 से अब तक लीज रेंट की धनराशि जमा नही किया गया । यहॉ यह उल्लेख करना है कि नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं को वन भूमि लीज पर हस्तान्तरित की गयी है । हस्तान्तरित वन भूमि का लीज रेंट न जमा करना पड़े इस हेतु एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 50320/2010 (एन0सी0एल0 बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य) दाखिल किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवायी दिनांक– 16.01.2013 को की गयी और वन विभाग के विरूद्व निर्णय आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश दिनांक– 16.01.2013 के विरूद्व वन विभाग उ0प्र0 सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या– 22793/2013 (उ0प्र0राज्य व अन्य बनाम नार्दन कोल फील्डस लि0) दाखिल किया गया है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।<br>उपरोक्तानुसार नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा उ0प्र0 सरकार के उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के शर्त संख्या– 8(ब) का उल्लंधन किया गया है । |
| 2 | **<u>शर्त संख्या–10</u>** इस प्राजेक्ट हेतु हरदोई जनपद में 189.839 हेक्टेयर गैर वानिकी भूमि का चिन्हीकरण किया गया है । प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई से इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि चिन्हित भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद होकर भूमि का स्वामित्व अभिलेखो एवं मौको पर वन विभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है । यह भी पुष्टि करवा ली जाय कि इस भूमि पर क्षतिपूरक रोपवन हेतु आवश्यक धनराशि मेसर्स नार्दन कोल फील्ड से प्राप्त कर ली गई है । प्राप्त धनराशि नार्दन कोल फील्डस से वृक्षारोपण रखरखाव हेतु एक मुश्त प्राप्त कर ली जाय । इसके पश्चात प्रभागीय निदेशक हरदोई का उत्तरदायित्व होगा कि वे वृक्षारोपण कर उसका रख रखाव करें । | इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई को 189.839 हे0 गैर वन भूमि एवं उस पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई द्वारा प्रश्नगत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराते हुए उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन संख्या– 3185/14–2–91/97/1991 दिनांक– 06.12.1991 संरक्षित वन धोषित कराया जा चुका है । पुष्टि हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग , हरदोई का पत्र संख्या–566 दिनांक– 04.08.1992 व पत्रांक– 3975 दिनांक– 08.04.1994 की छाया प्रति नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 21 व 22 पर संलग्न है । |

उक्त के अतिरिक्त यहॉ यह भी उल्लेख करना है कि नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र को वनेत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गयी है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंधन है । इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा प्रकरण आपकी सेवा में प्रेषित किया गया था । आपने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी दिनांक– 30.01.2014 द्वारा प्रकरण प्रमुख

सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लंघन को संज्ञानित करते हुए विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव संस्तुति सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।**

भवदीय,

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र ।
2– उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी ।
3– क्षेत्रीय वन अधिकारी, अनपरा ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र